न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी लोकेश कुमार गौतम (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2021/80 **दायर दिनांक 30.11.2021**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरू जिला चूरू (राजस्थान) –सायल–

बनाम

सुखदेव पुत्र श्री सुभाष जाति जाट उम्र 30 साल निवासी रामसरा पुलिस थाना सदर चूरू जिला चूरू। –गैरसायल–

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :–

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल**

निर्णय **दिनांक : 11.03.2022**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल सुखदेव पुत्र श्री सुभाष जाति जाट उम्र 30 साल निवासी रामसरा पुलिस थाना सदर चूरू जिला चूरू का रहने वाला है, जो अवैध शराब बिक्री व मादक पदार्थो की तस्करी इत्यादि व आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जो बार–बार अवैध शराब बिक्री व मादक पदार्थो की तस्करी के अपराध कारित करता आ रहा है। जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा हैं। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरुद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :–

क.स.	मुकदमा नम्बर मय दिनांक	धारा	चालान दिनांक	नतीजा न्यायालय
1.	97/15.10.2013	19/54 राजस्थान आबकारी पुलिस थाना सदर चूरू	30.10.2013	सजा 10.04.2014
2.	51/18.06.2014	19/54 राजस्थान आबकारी पुलिस थाना सदर चूरू	30.07.2014	सजा 10.06.2015
3.	97/16.12.2017	08/15.25.29 एनडीपीएस एक्ट पुलिस थाना रतननगर	31.08.2019	विचाराधीन न्यायालय
4.	13/06.02.2019	8/15 एनडीपीएस एक्ट व 323, 353, 34 भादस पुलिस थाना साहवा	22.06.2019	विचाराधीन न्यायालय

अतः इस्तगासा विरुद्ध सुखदेव पुत्र श्री सुभाष जाति जाट उम्र 30 साल निवासी रामसरा पुलिस थाना सदर चूरू जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावें।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त ना तो गैरसायल उपस्थित आया ना ही गैरसायल की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित आया। इसलिए गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध 02 मुकदमें 19/54 आबकारी अधिनियम तथा 02 मुकदमें 08/15,25,29,323 ,353,34 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 02 मुकदमें 19/54 आबकारी अधिनियम में दिनांक 15.10.2013 व 18.06.2014 तथा 02 मुकदमें 08/15,25,29,323 ,353,34 एनडीपीएस एक्ट में दिनांक 16.12.2017 व 06.02.2019 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3)(3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल सुखदेव पुत्र श्री सुभाष जाति जाट उम्र 30 साल निवासी रामसरा पुलिस थाना सदर चूरू जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल सुखदेव पुत्र श्री सुभाष जाति जाट उम्र 30 साल निवासी रामसरा पुलिस थाना सदर चूरू जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चूरू गैरसायल सुखदेव को थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी थाना रतननगर में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू